

आयुका,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में

स्वयं,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, समुदाय केंद्र, प्रोता विद्या,
नई दिल्ली।

दिनांक 27/08/2015 (2008-09) जे0ए0

दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

विषय - पूर्णवर्षीय एकेडमी विजनीर को सी0बी0ए0ए0सी0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

उपरोक्त प्रमाण पत्र का एक प्रतिलिपि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग से भेजी जा रही है। पूर्णवर्षीय एकेडमी विजनीर को सी0बी0ए0ए0सी0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को विनम्रलिखित प्रतिशर्तों की अधीन अनापत्ति नहीं है -

- 1- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- 2- विद्यालय की प्रवेश समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें 03 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा परिषद/शैक्षिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित सूचक से अधिक सुरक्षित नहीं किया जाएगा।
- 4- राज्य द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुदान प्राप्त है तथा विद्यालय की संरचना तैलेंट बोर्ड आक सेकेण्ड्री एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा में प्रवेश प्राप्त होने की तिथि से 0300 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को ध्यान में रखा जाएगा।
- 5- राज्य के शैक्षिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों का राष्ट्रीय सहायता प्राप्त शिक्षण मस्थानों के कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण पदों का रिक्त रहना तथा अन्य मत्तों नहीं ध्यान में रखा जाएगा।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जाएंगी और उन्हें सज्जता प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुपस्थिति से निवृत्ति का काम सफल कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा प्रमाण-समय पर जो भी अवकाश निर्धारित किये जायेंगे तत्स्था उनका पालन करनी।
- 8- विद्यालय का प्रमाण-समय पर प्रवेश कराया जायेंगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0बी0ए0ए0सी0ई0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि मूल्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपाययोजना सम्बद्धता से पूर्व तैयारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत भू-आपत्ति में उल्लिखित ग्राम पंचायत परामर्श विजनीर तहसील बिजनोर जिला बिजनोर में स्थित भूमि खाता संख्या 00106 गावा संख्या 70 क्षेत्र 0.511 है0, तथा खाता संख्या 00063 गावा संख्या 70 क्षेत्र 0.525 है0 (कुल 1.036 है0) (पंजीकृत लीज डेट दिनांक 14-12-2011 के अनुसार) एवं खाता संख्या 00054 गावा संख्या 70 क्षेत्र 0.513 है0 (पंजीकृत लीज डेट दिनांक 12-08-2014 के अनुसार) (कुल 1.549 है0) भूमि में निर्धारित भूदान व भूदान पर की जायेगी। भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
- 11- वर्ष 1 शर्तों में राज्य सरकार को पूर्णवर्षीय एकेडमी को विद्यालय को कोई परिचालन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा राज्य सरकार में किसी प्रकार की सूचक या शिक्षितता नहीं जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

Principal
Universal Academy
BIJNOR (U.P.)

Manager
Universal Academy
BIJNOR